हिंदी विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 09 - 15 August 2026

विभाजन की टीस पर मिली स्वतंत्रता

TJSB SAHAKARI BANK LTD.
MULTI-STATE SCHEDULED BANK
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank
TURN YOUR IDLE
GOLD INTO
INSTANT FUNDS.
THE SMARTER WAY.
LOAN UP TO ₹25 LAKHS*
INSTANT ACCESS TO FUNDS
HASSLE FREE PROCESS
MINIMAL DOCUMENTATION
SPEEDY SANCTION & DISBURSAL OF LOANS
ZERO PRE-PAYMENT CHARGES
INTEREST RATE STARTING AT
8.60%*p.a.
Your Gold Has a Story.
We Guard Every Chapter.
*T & C APPLY
www.tjsb.bank.in | : 022-48897204

अनुक्रमणिका

◆ विभाजन की विभीषिका झेलते हिंदू	अलकेश चतुर्वेदी	04
◆ मानचित्र से परे एक सभ्यता की चेतना	दीपक द्विवेदी	06
◆ स्वतंत्रता की ये कैसी उच्छृंखलता!	ललित गर्ग	08
◆ देश के युवा हों नशा मुक्त	डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'	11
◆ हंगामे के बीच संसद की उपलब्धियां	आशीष कुमार 'अंशु'	13
◆ केवल सीमा नहीं, सोच भी बदलनी होगी	सतीश सिंह	15
◆ अधिकारों का दुरुपयोग न हो -अजीत डोभाल	रोहन गिरी	16
◆ भीषण जनजातीय नरसंहार का दिवस	डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी	19
◆ असम में बाढ़ की त्रासदी	मनीष मोहन गोरे	21
◆ आस्था और परम्परा का संगम	डॉ. सौरभ मालवीय	24
◆ दो कदम आगे ही बढ़े	प्रवीण सिन्हा	26
◆ इधर भी देखें	संकलन	28
◆ समाचार	-	29

पंजीयन शुल्क

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2,
श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप,
कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067. सम्पर्क : 9594991884

विभाजन की विभीषिका झेलते हिंदू

वेदना

विभाजन को याद करना उस पीढ़ी के प्रति स्मृति का ऋण चुकाना है जिसने स्वतंत्रता की कीमत केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, अपनी भूमि, सम्पत्ति, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा, मंदिर, पड़ोस, परिवार और कभी-कभी अपने प्रियजनों के जीवन से चुकाई।

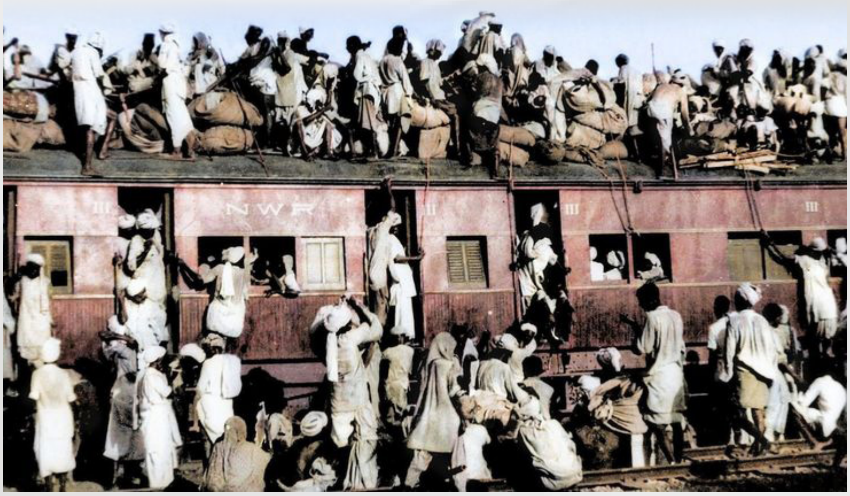

15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब दिल्ली रोशनी से जगमगा रही थी और स्वतंत्र भारत अपने नए जीवन का स्वागत कर रहा था, उसी समय भारत राष्ट्र का एक विशाल भूभाग ऐसा भी था जहां रोशनी नहीं, जलते हुए घर दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में स्वतंत्रता का सूर्योदय था, किंतु लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर, कराची, हैदराबाद-सिंध और पूर्वी बंगाल के असंख्य हिंदू परिवारों के जीवन में उसी समय एक ऐसा सूर्य अस्त हो रहा था, जिसके बाद वे अपनी जन्मभूमि को फिर कभी नहीं देख सके।

विभाजन को केवल नक्शे पर खींची गई एक रेखा समझना उसकी विभीषिका को बहुत छोटा कर देना है। वह रेखा खेतों के बीच से ही नहीं गुजरी थी। वह परिवारों, स्मृतियों, आस्थाओं और सदियों पुराने सामाजिक जीवन के बीच से होकर निकली थी। लगभग 150 करोड़ लोगों के सीमा के आर-पार विस्थापन का अनुमान लगाया जाता है। इनमें पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल से आने वाले लाखों हिंदू-सिख भी थे, जो किसी विदेशी भूमि से भारत नहीं आ रहे थे-भारत के टूट जाने के कारण अपनी ही सभ्यतागत भूमि पर शरणार्थी बन रहे थे।

और वे सभी निर्धन नहीं थे। यही विभाजन की सबसे कम कही गई विडम्बनाओं में से एक है। जो व्यक्ति कल तक मालगुजार, जमींदार, व्यापारी, साहूकार, चिकित्सक, अध्यापक अथवा कारखाने का स्वामी था, वह कुछ दिनों बाद शरणार्थी शिविर में राशन की पंक्ति में खड़ा था। जिन परिवारों की हवेलियां थीं, खेत और बाग थे, दुकानें, कारखाने, अनाज के गोदाम और पीढ़ियों से स्थापित व्यवसाय थे, वे जीवन भर की सम्पत्ति वहीं छोड़कर निकले। साथ में कुछ कपड़े, थोड़े आभूषण, शायद किसी देवता की छोटी-सी प्रतिमा, जमीन के कागज और घर की चाबी-उस घर की चाबी जिसका ताला वे फिर कभी नहीं खोल पाए।

अलकेश चतुर्वेदी

पश्चिमी पंजाब में भय 15 अगस्त से बहुत पहले उतर चुका था। मार्च 1947 के रावलपिंडी क्षेत्र की हिंसा ने अनेक हिंदू-सिख बस्तियों को उजाड़ दिया। फिर लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, शेखुपुरा और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा विकराल होती गई। गांव खाली हुए और हजारों लोग पैदल कारवां में निकले। जो बैलगाड़ी पर बैठ सकता था, बैठा, जो चल सकता था, चला; जो वृद्ध या बीमार चल नहीं पाया, कई बार पीछे छूट गया। परिवारों की स्मृतियों में वह प्रश्न दशकों तक जीवित रहा-अंतिम बार घर का दरवाजा बंद करते समय क्या उन्हें पता था कि वे लौटकर कभी नहीं आएंगे?

रेल उस समय की सबसे भयावह स्मृतियों में बदल गई। जो रेल कभी लोगों को जोड़ती थी, वही कभी-कभी लाशों से भरे डिब्बों के साथ सीमा तक पहुंचती थी। किसी स्टेशन पर प्रतीक्षा करता परिवार नहीं जानता था कि अगली रेल उसके परिजनों को लाएगी या उनकी मृत्यु का समाचार। बच्चे माता-पिता से बिछड़े, परिवार रास्तों में टूटे और कारवां लूटे गए।

इस त्रासदी का सबसे असहनीय अध्याय स्त्रियों

का था। अपहरण, यौन हिंसा, जबरन विवाह और धर्मांतरण की घटनाएं इतनी व्यापक हुईं कि बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों को अपहृत महिलाओं की खोज और पुनर्वास के लिए विशेष अभियान चलाने पड़े। पलायन की मौखिक स्मृतियों में ऐसे भयावह प्रसंग भी मिलते हैं जहां परिवारों के सामने अपनी बेटियों, बहुओं और माताओं की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न बन गई थी। कहीं महिलाएं पीछे रह गईं, कहीं परिवार बिछड़ गए और कहीं हिंसा से बचने के लिए ऐसे निर्णय हुए जिनकी कल्पना भी आज विचलित करती है। विभाजन की स्त्री-वेदना किसी जनगणना में पूरी तरह दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन हिंदू विस्थापन की कहानी केवल पंजाब की नहीं थी। अगस्त 1946 का कलकत्ता का 'डायरेक्ट एक्शन डे' आने वाले तूफान की चेतावनी था। हजारों लोग साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गए। अक्टूबर 1946 में नोआखाली और टिप्पेरा में हिंदू गांवों पर हमले, हत्या, लूट, आगजनी, महिलाओं पर अत्याचार और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं ने बंगाल के हिंदू समाज को भीतर तक हिला दिया। गांधीजी स्वयं नोआखाली पहुंचे और गांव-गांव घूमे, लेकिन तब तक सह-अस्तित्व का विश्वास बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद बिहार में प्रतिशोधात्मक साम्प्रदायिक हिंसा हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। पूर्वी बंगाल की त्रासदी पंजाब से अलग थी। पंजाब का विस्थापन विस्फोट की तरह हुआ; बंगाल का विस्थापन रिसते हुए घाव की तरह। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं का निकलना समाप्त नहीं हुआ। 1950 की पूर्वी पाकिस्तान की हिंसा ने फिर बड़ी संख्या में परिवारों को भारत की ओर धकेला। बाद के दशकों में भी साम्प्रदायिक तनाव, असुरक्षा, भेदभाव तथा सम्पत्ति सम्बंधी व्यवस्थाओं के कारण हिंदू परिवार आते रहे। जिस पूर्वी बंगाल/पूर्वी पाकिस्तान के भूभाग में विभाजन के समय हिंदुओं की उल्लेखनीय जनसंख्या थी, वहां बाद के दशकों में उनका अनुपात लगातार कम होता गया। हर घटता प्रतिशत केवल आंकड़ा नहीं था; उसके पीछे किसी का छोड़ा हुआ आंगन, किसी की जमीन, किसी की दुकान, किसी का मंदिर और किसी परिवार की टूटी हुई पीढ़ी थी।

सिंध की वेदना तो और भी विशिष्ट थी। पंजाब और बंगाल कम-से-कम विभाजित हुए। सिंध का कोई भाग भारत में नहीं आया। कराची, हैदराबाद-सिंध, शिकारपुर और सुक्कुर जैसे नगरों में हिंदू समुदाय व्यापार, शिक्षा, प्रशासन और शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। अनेक समृद्ध सिंधी हिंदू परिवारों के बड़े मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और पीढ़ियों की सम्पत्ति वहीं रह गई। वे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और देश के दूसरे भागों में बिखर गए। ये लोग भारत पर केवल अपना दुःख लेकर नहीं आए। उन्होंने नगर बसाए, बाजार खड़े किए, उद्योग और व्यापार स्थापित किए और अपने बच्चों को फिर शिक्षित किया। पंजाब से आए परिवारों ने दिल्ली और उत्तर भारत के आर्थिक जीवन को नई गति दी; सिंधी समाज ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में व्यापार के नए केंद्र खड़े किए। विस्थापन ने उन्हें तोड़ा अवश्य, समाप्त नहीं कर सका। विभाजन की आग जम्मू-कश्मीर तक भी पहुंची। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबायली आक्रमणकारियों और उनके सहयोगियों के हमलों ने मुज़फ्फराबाद, बारामूला तथा आसपास के क्षेत्रों में भयावह परिस्थितियां उत्पन्न कीं। विशेष रूप से मीरपुर की त्रासदी विस्थापित हिंदू-सिख परिवारों की स्मृति में आज भी जीवित है। जम्मू-कश्मीर के अनेक परिवारों के लिए स्वतंत्रता का पहला वर्ष उत्सव नहीं, घर और परिजन खो देने का वर्ष था।

मानचित्र से परे एक सभ्यता की चेतना

अखंड भारत

आज अखंड भारत का वास्तविक संदेश है भूभाग का नहीं। भाव का विस्तार है प्रभुत्व का नहीं। परस्पर सम्मान का है और विजय का नहीं। जो विश्व बंधुत्व का प्रमाण है।

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः।। - विष्णु पुराण (2.3.1) समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित भूभाग भारतवर्ष है, जहां भारती अर्थात् भारतीय संस्कृति की संतति निवास करती है।

भारतीय परम्परा में राष्ट्र का अर्थ केवल राज्य नहीं रहा। राज्य शासन की व्यवस्था है, जो समय के साथ बदल सकती है, परंतु राष्ट्र हिमालय से समुद्र तक फैली तीर्थ-परम्परा, चार धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, बौद्ध और जैन तीर्थ, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय आदि है जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि अखंड भारत राजनीति नहीं, लोगों की चेतना की एकता है। इस कथन का आशय यह है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके भूगोल से अधिक उसकी संस्कृति में निहित है।

अफगानिस्तान का गांधार, मध्य एशिया के बौद्ध अवशेष, इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर समूह और बोरोबुदुर स्तूप, बाली की जीवंत हिंदू परम्परा तथा थाईलैंड की रामाकियन परम्परा इस सांस्कृतिक सम्पर्क के साक्ष्य हैं। नेपाल में जनकपुर और पशुपतिनाथ, श्रीलंका की रामायण परम्परा, पाकिस्तान का तक्षशिला और ननकाना साहिब, बांग्लादेश की पाल परम्परा तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अंगकोरवाट और रामायण-आधारित सांस्कृतिक परम्पराएं इस व्यापक सभ्यतागत प्रभाव की ओर संकेत करती हैं।

भारतीयता का निर्माण सांझा संस्कृति, इतिहास, स्मृति, जीवन मूल्य और आत्मबोध रहा है। अनेक राजवंशों के उत्थान-पतन, आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही है। स्वामी विवेकानंद ने भारत को मानवता की आध्यात्मिक प्रयोगशाला कहा है। 1893 के शिकागो धर्म संसद में उन्होंने भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी दृष्टिकोण का उद्घोष किया और बताया कि जब भारत अपनी आत्मा को पहचान लेगा तभी वह विश्व का मार्गदर्शन करेगा। महर्षि अरविंद ने भारत को जीवित शक्ति माना है, उनके अनुसार भारत का राष्ट्रत्व हजारों वर्षों की सांस्कृतिक साधना का फल है। श्री गुरुजी (माधव सदाशिव गोलवलकर) ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार बताया। यही सांस्कृतिक चेतना भारत को एक राष्ट्र नहीं एक जीवंत सभ्यता बनाती है, जिसकी जड़ें अतीत में है, पर जिसकी शाखाएं आज विश्व के अनेक देशों तक फैली हुई हैं।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम त्रिनिनाद एवं टोबैको और दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। भारतीयों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक परम्पराओं को जीवित रखा है,

दीपक द्विवेदी

वहीं दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप के अनेक देशों में बसे भारतीय वैज्ञानिक, चिकित्सक, उद्योगपति, प्रोफेसर और जनप्रतिनिधि बनकर भारत की प्रतिभा तथा सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय दे रहे हैं। इन देशों में दीपावली, होली, नवरात्र, पोंगल, बैसाखी,

गणेश उत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे पर्वों का आयोजन होता है। यहां मंदिर, गुरुद्वारा, जैन मंदिर, बौद्ध स्थल की स्थापना हुई है। योग, ध्यान और आयुर्वेद का प्रचार है, भरतनाट्यम, कत्थक, ओडिसी, हिंदुस्थानी एवं कर्नाटक संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता है। गीता रामायण अध्ययन मंडलों का संचालन होता है। भारतीय भोजन, मसाले, पारम्परिक पाक कला को वैश्विक पहचान मिलती है। भारतीय जीवन मूल्य, परिवार, सेवा, सह अस्तित्व, प्रकृति के सम्मान और 'अतिथि देवो भव' का परिचय कराया जाता है। आज विश्व के लगभग प्रत्येक महाद्वीप में बसे करोड़ भारतीय मूल के लोग भारतीय संस्कृति परम्परा और जीवन दर्शन के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं।

2047 विकसित भारत की ओर बढ़ते भारत के सामने विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य के साथ साथ सभ्यागत नेतृत्व का लक्ष्य भी है। यदि भारत आर्थिक-सामरिक शक्ति के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक सोच, पर्यावरण संतुलन और 'वसुधैव-कुटुम्बकम' की भावना को भी विश्व के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है तो वह एक ऐसी सभ्यता शक्ति बन सकता है जो जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, ऊर्जा, सुरक्षा, भू राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना कर वैश्विक शांति, सहयोग और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

इस अखंड भारत के संकल्प को ध्यान में रखकर भारत ने कई देशों के साथ सांझी सभ्यागत विरासत के आधार पर कार्य किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कम्बोडिया के ता-प्रोहम और प्रेह विहार मंदिरों, इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर, लाओस के प्राचीन वाट फू शिव मंदिर, वियतनाम के माई सॉन मंदिर समूह तथा म्यांमार के बागान स्थित प्राचीन बौद्ध स्मारकों के संरक्षण और पुनरुद्धार में भारत सक्रिय सहयोग कर रहा है। ये परियोजनाएं भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच हजारों वर्षों से चले आ रहे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सम्बंधों के पुनर्स्मरण का माध्यम हैं। इसी प्रकार पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में भी भारतीय सांस्कृतिक उपस्थिति निरंतर सुदृढ़ हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में निर्मित भव्य बीएपीएस हिंदू मंदिर भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक बन चुका है। इसके अतिरिक्त बहरीन, ओमान और खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों में प्राचीन हिंदू मंदिरों के संरक्षण, नए मंदिरों के निर्माण तथा भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की गतिविधियों ने भारतीय परम्परा को नई पहचान दी है। ●●●

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-

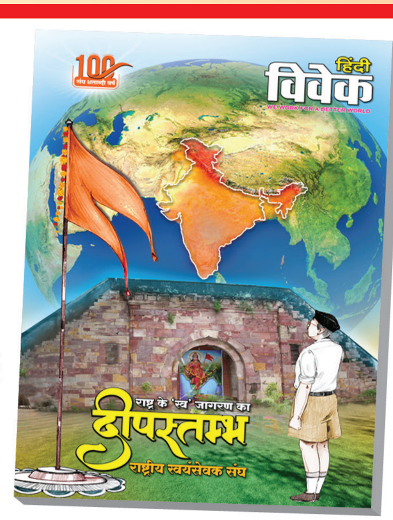

ईमेल – hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483

भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

ललित गर्ग

क्या हमने स्वतंत्रता का अर्थ सही रूप में समझा है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता, अमर्यादित भाषा, कानून की अवहेलना और संस्थाओं के प्रति अविश्वास फैलाना है? यदि ऐसा है तो यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि उच्छृंखलता है।

भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, किंतु संविधान ने इस अधिकार को निरंकुश नहीं बनाया। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, राष्ट्र की सुरक्षा तथा मानहानि जैसे आधारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों का भी प्रावधान किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़े हैं। जब अधिकार कर्तव्य से अलग हो जाते हैं, तब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है।

आज भारतीय राजनीति का एक चिंताजनक पक्ष यह है कि अनेक राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में रहते हुए कभी-कभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं करते। स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का प्राण है, किंतु व्यक्तिगत कटाक्ष, अपमानजनक भाषा, असत्य आरोप और सार्वजनिक मंचों से गरिमा का ह्रास लोकतंत्र को कमजोर करता है। किसी भी दल या नेता के लिए यह उचित नहीं कि वह राजनीतिक असहमति को व्यक्तिगत वैमनस्य में बदल दे।

हाल के वर्षों में अनेक आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनमें कुछ वक्ताओं द्वारा सार्वजनिक मंचों पर अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। यदि किसी आंदोलन में किसी व्यक्ति, संवैधानिक पद या संस्था के प्रति अपशब्द कहे जाते हैं, तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध प्रयोग नहीं कहा जा सकता। असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, किंतु असभ्यता का अधिकार किसी

स्वतंत्रता की ये कैसी उच्छृंखलता!

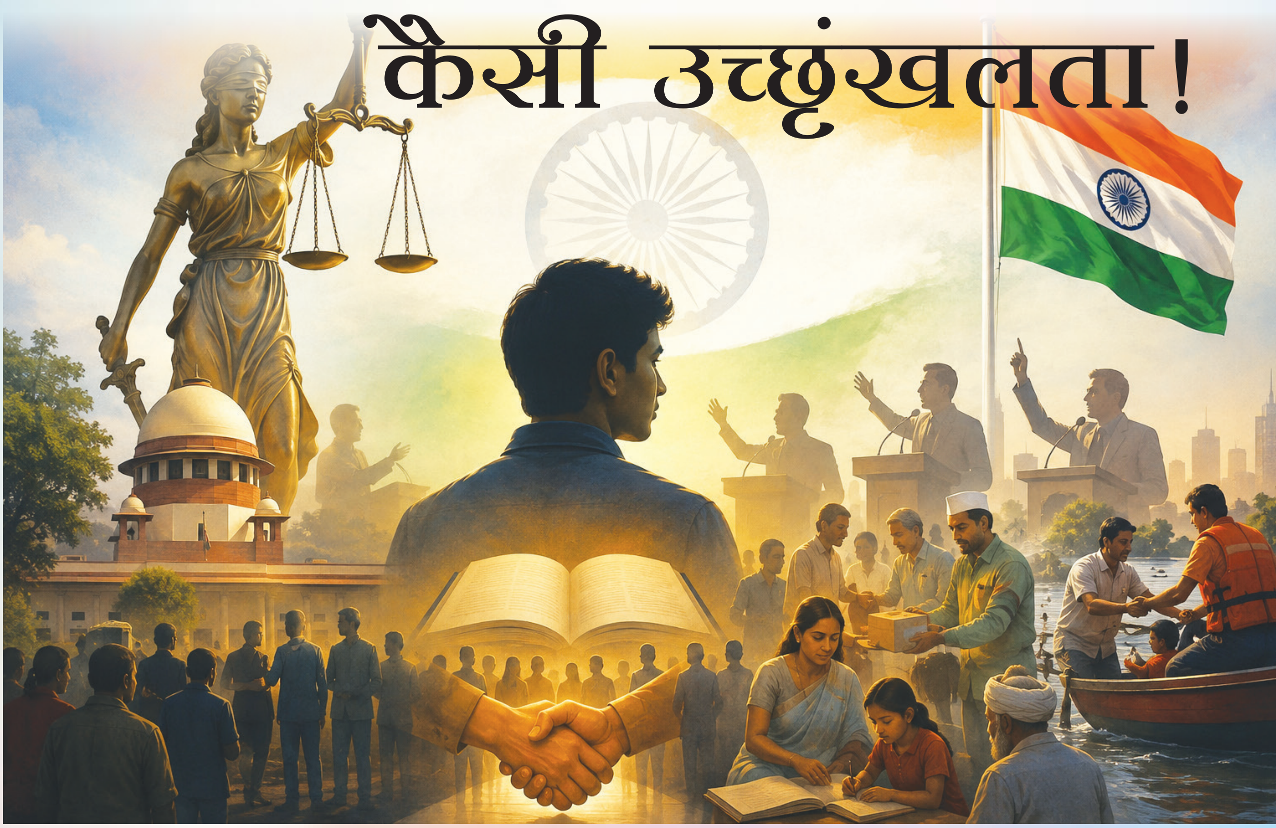

संविधान ने नहीं दिया। लोकतंत्र में विरोध का अर्थ संवाद है, दुर्व्यवहार नहीं; तर्क है, गाली नहीं।

इसी प्रकार यदि किसी न्यायालय, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रदर्शन किए जाएँ या कानून–व्यवस्था को चुनौती दी जाए, तो यह भी गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। यदि नागरिक या संगठन न्यायालय के निर्णय से असहमत हों तो उनके पास वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं, परंतु कानून को हाथ में लेना या न्यायिक आदेशों की अवज्ञा करना लोकतांत्रिक संस्कृति को क्षति पहुंचाता है। कानून का शासन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हर समूह अपनी सुविधा के अनुसार कानून माने या न माने, तो अराजकता का वातावरण उत्पन्न होगा।

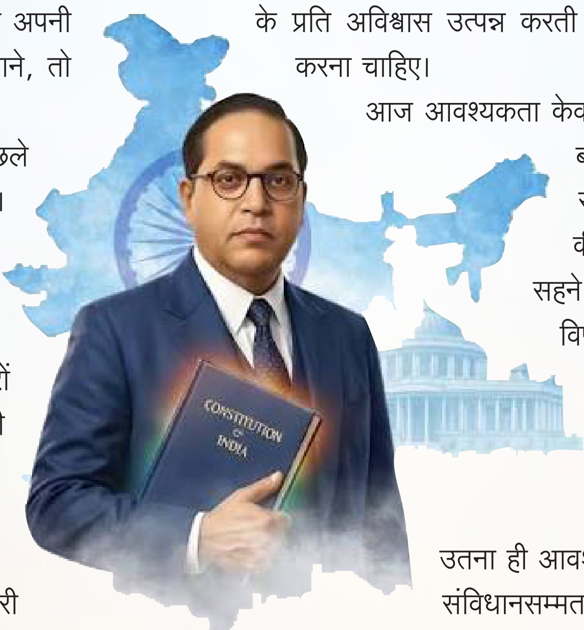

राजनीतिक विमर्श का स्तर भी पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक रूप से गिरा है। विभिन्न दलों के अनेक नेताओं ने एक–दूसरे के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, जो लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं कही जा सकती। कई अवसरों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तथा गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री के सम्बंध में तीखी और विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। दूसरी ओर, अन्य दलों के नेताओं की ओर से भी विपक्ष के प्रति कठोर और व्यक्तिगत टिप्पणियां देखने को मिली हैं। लोकतंत्र में नीतियों की आलोचना आवश्यक है, परंतु व्यक्ति की गरिमा का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत अपमान का माध्यम बनाना लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए हितकारी नहीं है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि असहमति भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर व्यक्त होनी चाहिए। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में चेताया था कि संवैधानिक उपायों को छोड़कर असंवैधानिक मार्ग अपनाना लोकतंत्र के लिए घातक होगा। इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह अनुशासन, संयम और उत्तरदायित्व से जुड़ी हो।

सोशल मीडिया ने भी इस समस्या को और जटिल बना दिया है। बिना तथ्य जांचे आरोप लगाना, अपमानजनक टिप्पणियां करना, झूठी सूचनाएं फैलाना और चरित्र हनन करना कुछ लोगों के लिए सामान्य व्यवहार बनता जा रहा है। यह प्रवृत्ति समाज में वैमनस्य और अविश्वास बढ़ाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य विचारों का आदान–प्रदान है, न कि समाज को विभाजित करना।

स्वतंत्रता का सही अर्थ यह नहीं कि हम जो चाहें, जैसे चाहें, वैसा करें। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है–अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना कि दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न हो, संविधान की मर्यादा बनी रहे और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। यदि हमारी अभिव्यक्ति समाज में घृणा, हिंसा, अशांति या संस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करती है, तो हमें स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए।

आज आवश्यकता केवल राजनीतिक दलों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को मर्यादित संवाद की संस्कृति अपनाने की है। सत्ता पक्ष को आलोचना सहने का धैर्य रखना चाहिए और विपक्ष को आलोचना करते समय भाषा एवं तथ्यों की शालीनता बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक है कि विपक्ष की भूमिका संविधानसम्मत, तथ्यपरक और गरिमामय हो। इसी प्रकार सत्ता पक्ष को भी विरोधियों के प्रति संयमित व्यवहार और संवाद की भावना रखनी चाहिए।

15 अगस्त हमें केवल अधिकारों की नहीं, कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। संविधान के मूल कर्तव्यों में संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का स्पष्ट उल्लेख है। यदि हम इन कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे, तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ खो जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वतंत्रता को उच्छृंखलता नहीं, उत्तरदायित्व मानें, अभिव्यक्ति को अपशब्द नहीं, विचार का माध्यम बनाएं, विरोध को वैमनस्य नहीं, लोकतांत्रिक संवाद का अवसर समझें और राजनीति को सेवा, शालीनता तथा राष्ट्रहित से जोड़ें। स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सम्मान तभी होगा जब हमारी वाणी में मर्यादा, आचरण में अनुशासन और मन में राष्ट्र सर्वोपरि होगा।

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For Better World

पंजीयन करें

सेवा विवेक ग्रंथ

मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें

ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य

भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।

सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।

सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।

सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।

इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।

आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।

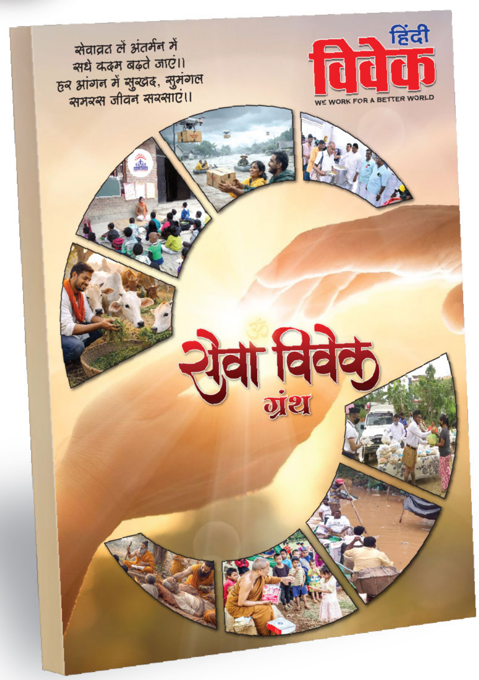

प्रकाशन पूर्व मूल्य
₹600/-

ग्रंथ का मूल्य
₹700/-

देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694

स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत रविवार 2 अगस्त को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारम्भ किया। जिसके तहत युवाओं को नशा मुक्त होने की अपील की गई साथ ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से आग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों के खतरों पर चर्चा को अपने नियमित पाठ्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल करें।

देश के युवा हों नशा मुक्त

डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत रविवार 2 अगस्त को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारम्भ किया। एक विशाल राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं सहित विविध सभा का औपचारिक रूप से अभिवादन किया। प्रधान मंत्री ने कहा, यह अभियान केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों, समाज और पूरे राष्ट्र के व्यापक हितों की भी पूर्ति करता है। 'नशामुक्त भारत संकल्प अभियान' के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर युवा पीढ़ी का होना अनिवार्य है, जो आत्म-विनाशकारी आदतों से पूरी तरह मुक्त हो। उन्होंने कहा कि 'आज जब राष्ट्र ने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह आवश्यक है कि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हों और नशीले पदार्थों जैसी विनाशकारी आदतों से हमेशा के लिए दूर रहें।'

अभियान की शुरुआत पर विचार करते हुए, प्रधान मंत्री ने इस बात पर गहरी संतुष्टि व्यक्त की कि 'काशी घोषणा के तहत 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों और कई गैर सरकारी संगठनों के समर्थन से, कल्याणकारी यह विचार अब सफलतापूर्वक एक राष्ट्रीय परियोजना बन गया है।' नशा-विरोधी शपथ लेने वाले लाखों युवाओं की सराहना करते हुए, प्रधान मंत्री ने व्यक्तिगत संयम बनाए रखने और स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में नशामुक्त जीवन का संदेश सक्रिय रूप से फैलाने के उनके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। अभियान के महत्त्वाकांक्षी 100-सप्ताह के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे प्रत्येक आगामी रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से सम्बंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि नए प्रतिभागियों को लगातार जोड़ा जा सके। प्रधान मंत्री ने कहा, 'आगामी 100 रविवार पूरी तरह से नशामुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम साबित होंगे।'

युवा पीढ़ी को भारत की 'अमृत पीढ़ी' बताते हुए, उन्हें याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा, कल्पनाशीलता और प्रतिभा देश को 2047 के विकास लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रधान मंत्री ने शिक्षाविदों से विशेष अपील करते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से आग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों के खतरों पर चर्चा को अपने नियमित पाठ्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल करें और अपने परिसरों में नशा-विरोधी

अभियान चलाएं। नशे की लत से लड़कर बाहर आने वाले युवा कमजोर नहीं हैं, वे असली योद्धा हैं, जिनका अविश्वसनीय साहस ही उनकी सच्ची पहचान है।

यह अभियान पूरे भारत में संचालित किया जा रहा है। इसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईटीआई, युवा क्लब, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, एनसीसी, खेल संस्थाएं तथा सामाजिक संगठन इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य नशामुक्ति को किसी सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जनआंदोलन बनाना है। इस अभियान के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशामुक्ति का संकल्प दिलाना, विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरुकता कार्यक्रम करना, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा आंदोलन तैयार करना, खेल, योग एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा तथा नशे के विरुद्ध जनमत तैयार करना जैसे लक्ष्य रखे गए हैं और यह लक्ष्य देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने में कारगर होंगे। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का इतिहास रचा है। स्वच्छ भारत, जल संरक्षण, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ जैसे अभियानों ने जनभागीदारी की शक्ति को सिद्ध किया है। उसी प्रकार यदि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान को व्यापक सामाजिक समर्थन मिलता है, तो आने वाले वर्षों में भारत एक स्वस्थ, सक्षम, आत्मविश्वासी और उत्पादक युवा राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने नई पहचान स्थापित करेगा। नशा मुक्त युवा फ़ॉर विकसित भारत संकल्प अभियान भारत की युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास है। यह अभियान स्पष्ट संदेश देता है कि विकसित भारत का निर्माण केवल बड़े उद्योगों, आधुनिक तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं होगा, बल्कि ऐसे युवाओं से होगा जो स्वस्थ, जागरुक, अनुशासित, नैतिक और राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल सरकार का दायित्व नहीं है। यह प्रत्येक परिवार, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक सामाजिक संस्था, प्रत्येक मीडिया मंच और प्रत्येक नागरिक की साझा ज़िम्मेदारी है। जब समाज स्वयं नशे के विरुद्ध खड़ा होगा, तब यह अभियान एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनआंदोलन बन जाएगा। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब भारत का प्रत्येक युवा नशे से मुक्त, लक्ष्य के प्रति समर्पित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होगा। यही इस अभियान का मूल संदेश है, यही भारत के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। ●●●

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

पंजीयन करें
पुस्तक का मूल्य ₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of **HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK**

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

आशीष कुमार 'अंशु'

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला 'सदन में आओ' के नारे गूंजते रहे। 7 अगस्त को लगातार नारेबाजी और हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार, 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

हंगामे के बीच संसद की उपलब्धियां

संसद का मानसून सत्र 2026, जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शनों की छाया में आगे बढ़ा। दोनों सदनों में बार-बार स्थगन, नारेबाजी और गतिरोध के बावजूद सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए। मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग, राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप, 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में तूफान मचाया। 'सदन में आओ' के नारे गूंजते रहे, विरोध मार्च निकाले गए और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठी। इन सबके बीच विधायी कामकाज जारी रहा और सत्र के तीसरे सप्ताह में उत्पादकता बनी रही। यह अवधि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक टकराव और विधायी प्रक्रिया के बीच के तनाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहां हंगामे के बावजूद कई अहम कानून पारित हो गए।

बिना बहस के पारित हुए प्रमुख विधेयक

1 अगस्त से शुरू हुई इस अवधि में सत्र का तीसरा सप्ताह हंगामे का शिकार हुआ। प्रश्नकाल और शून्यकाल अधिकतर नहीं चल पाए। विपक्षी सांसदों ने सदन में उतरकर नारेबाजी की, जिसके चलते कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई। 3 अगस्त को लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना लम्बी चर्चा के पारित कर दिया। यह विधेयक 16 मई 2026 को लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है और मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करता है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लम्बित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करना और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। 5 अगस्त को राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे भी मंजूरी मिल गई। इस बिल के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट की क्षमता में वृद्धि होने की आशा है, जिससे न्यायिक देरी कम हो सकेगी।

उसी अवधि में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 लोकसभा में 5 अगस्त को ध्वनिमत से बिना व्यापक चर्चा के पास हो गया। यह बिल डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बैंकर्स की पुस्तकों सम्बंधी साक्ष्य नियमों को अद्यतन करता है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था इससे मजबूत होगी, जो बैंक धोखाधड़ी के मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 भी लोकसभा के पटल पर रखा। यह बिल संस्थान को सांविधिक निकाय बनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन यह अभी लम्बित है और शिक्षाविदों के बीच स्वायत्तता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

6 अगस्त को कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में विपक्षी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ। यह बिल भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक

पूंजी, विनिर्माण और व्यवसाय के लिए अधिक आकर्षक और विश्वसनीय गंतव्य बनाना है। कर नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस बिल के जरिए कुछ कंपनियों के लिए मौजूदा कर छूट बढ़ाई गई है और विदेशी फंड मैनेजरों के लिए प्रक्रिया आसान की गई है।

सबसे उल्लेखनीय घटनाक्रम 7 अगस्त का रहा। राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त को पारित एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा ने भारी हंगामे के बीच लगभग 16 मिनट की कार्यवाही में बिना किसी बहस के मंजूरी दे दी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों के बकाया भुगतान और तरलता की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से चालान निपटान अनिवार्य बनाया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल मंच पर स्वैच्छिक पंजीकरण की व्यवस्था, विवाद समाधान की समय-सीमा तय करना और अदालतों को यह शक्ति देना कि यदि स्थगन आवेदन छह महीने से अधिक लंबित रहे तो अवार्ड राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान का आदेश दिया जा सके, जैसे प्रावधान शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और 40 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यह संशोधन उनके विकास को गति देगा और कारोबार करने में आसानी बढ़ाएगा।

विस्तृत चर्चा वाला एकमात्र बिल और विपक्ष का लगातार विरोध इस सत्र में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 एकमात्र ऐसा बिल रहा जिस पर दोनों सदनों में लगभग 22 घंटे की विस्तृत चर्चा हुई। लोकसभा में करीब 12 घंटे और राज्यसभा में करीब 10 घंटे बहस चली। पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला यह कानून एनईईटी-यूजी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में लाया गया था और पहले ही दोनों सदनों से पारित हो चुका था। जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (वंदे मातरम् सम्बंधी) विधेयक भी इसी सत्र में पारित हुए। वंदे मातरम् बिल पर कुल लगभग 14 मिनट चर्चा हुई, जबकि जन्म-मृत्यु पंजीकरण बिल पर लोकसभा में मात्र दो मिनट का समय लगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए सत्र बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि सत्र अपने निर्धारित समय यानी 13 अगस्त 2026 को ही समाप्त होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10 से 12 अगस्त के लिए तीन दिवसीय व्हिप जारी किया है। ●●●

राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। उक्त बिल के पास होने से छोटे उद्योगों को आसान रजिस्ट्रेशन, बेहतर भुगतान व नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

सतीश सिंह

केवल सीमा नहीं, सोच भी बदलनी होगी

भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र केवल उत्पादन का आधार नहीं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता का सबसे बड़ा वाहक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई कार्यरत हैं, जो 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनकी हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत, जबकि कुल निर्यात में योगदान करीब 45 प्रतिशत है। ऐसे में एमएसएमई संशोधन विधेयक, 2026 का महत्त्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर सरकार ने बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप उद्योगों को विस्तार का अवसर देने का प्रयास है।

वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, उत्पादन लागत और तकनीकी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनेक उद्यम केवल इसलिए अपने कारोबार का विस्तार नहीं कर रहे थे कि कहीं एमएसएमई का दर्जा समाप्त न हो जाए और वे सस्ती ऋण सुविधा, क्रेडिट गारंटी, सरकारी खरीद तथा अन्य प्रोत्साहनों से वंचित न हो जाएं। संशोधित सीमा इस कृत्रिम बाधा को दूर करती है। इससे उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो प्रतिस्पर्धी एमएसएमई क्षेत्र उसकी अपरिहार्य शर्त है।

लेकिन हर सुधार अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। सीमा बढ़ने से अपेक्षाकृत बड़े और संसाधन-सम्पन्न उद्यम भी एमएसएमई की श्रेणी में शामिल होंगे। इससे वास्तविक सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच कठिन हो सकती है। यदि सीमित संसाधनों का वितरण संतुलित नहीं हुआ, तो नीति का लाभ उन्हीं इकाइयों तक सिमट सकता है जो पहले से अपेक्षाकृत मजबूत हैं। इसलिए एक समान नीति के बजाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग समर्थन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

बैंकों और सरकार के लिए भी यह आसान परीक्षा नहीं होगी। पात्र इकाइयों की संख्या बढ़ने से ऋण वितरण का दायरा विस्तृत होगा, लेकिन इसके साथ जोखिम मूल्यांकन और निगरानी की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। कुछ उद्यम कृत्रिम रूप से अपनी व्यावसायिक संरचना बदलकर एमएसएमई का लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जीएसटी, आयकर और उद्यम पंजीकरण के डिजिटल आँकड़ों का समन्वय तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था आवश्यक होगी। यह भी याद रखना होगा कि केवल परिभाषा बदलने से औद्योगिक विकास नहीं होता। समय पर ऋण, आधुनिक तकनीक, कुशल श्रम, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और सरल नियामकीय प्रक्रियाएं-ये सभी उतने ही आवश्यक हैं। यदि इन मोर्चों पर समानांतर सुधार नहीं हुए, तो संशोधित सीमा का अपेक्षित लाभ सीमित रह जाएगा।

एमएसएमई संशोधन विधेयक, 2026 को एक सकारात्मक और समयानुकूल पहल माना जा सकता है। किंतु इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि क्या इससे वास्तव में रोजगार बढ़ता है, निर्यात मजबूत होता है और छोटे उद्यम भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं छूटते। भारत को केवल अधिक एमएसएमई नहीं, बल्कि अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और नवोन्मेषी एमएसएमई चाहिए। यही इस संशोधन की वास्तविक कसौटी होगी। ●●●

अधिकारों का दुरुपयोग न हो अजीत डोभाल

सवाल

अधिकार हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुणे में यह बात कही। जंतर-मंतर पर पुलिस पर पथराव की घटनाओं के बीच यह संदेश साफ है कि विरोध का अधिकार है, हिंसा का नहीं।

रोहन गिरी

अधिकार हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जब यह बात कही, तो यह केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं थी। इस संदर्भ में जंतर-मंतर पर पुलिस पर हुए पथराव की हालिया घटनाओं पर भी पक्ष-विपक्ष में खूब चर्चा में रहा है। इन बातों को साथ रखकर देखें तो संदेश बिल्कुल साफ हो जाता है। लोकतंत्र हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देता। विरोध और हिंसा के बीच जो महीन रेखा है, उसे मिटाने की आज्ञा किसी को नहीं दी जा सकती।

लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि वह असहमति को भी जगह देता है। सरकार की आलोचना करना, किसी नीति का विरोध करना, धरना देना या प्रदर्शन करना, यह सब लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन जिस क्षण विरोध की जगह हिंसा ले लेती है, नारे की जगह पत्थर चलने लगते हैं और संवाद की जगह टकराव आ जाता है, उसी क्षण मामला बदल जाता है। जो व्यक्ति हाथ में तख्ती लेकर खड़ा है, वह प्रदर्शनकारी है। लेकिन जब

वही हाथ पत्थर उठा लेता है, तब उसकी पहचान बदल जाती है। वह प्रदर्शनकारी नहीं, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है।

यही वह अंतर है जिसे लेकर देश में अधिकतर भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है। जब भी किसी हिंसक प्रदर्शन के बाद कार्रवाई होती है, तो बहस का केंद्र अपराधी नहीं रहता। चर्चा इस बात पर होने लगती है कि कार्रवाई क्यों हुई। पत्थर किसने फेंका, पुलिस पर हमला किसने किया, सार्वजनिक व्यवस्था किसने बिगाड़ी, इन सवालों पर कम बात होती है। उलटे कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। धीरे-धीरे ऐसा वातावरण बनाया जाता है मानो हिंसा भी लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा हो। यही सोच सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है।

जंतर-मंतर की घटना इसी सोच की एक मिसाल है। पुलिस पर पथराव हुआ। जिन लोगों की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उन्हीं को निशाना बनाया गया। यह केवल पुलिस पर हमला नहीं था। यह उस व्यवस्था को चुनौती थी जो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खड़ी है। अगर कानून लागू करने वाला ही हिंसा का शिकार बनने लगे और उसके बाद भी समाज इसे सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ जाए, तो इसका नुकसान पूरे लोकतंत्र को उठाना पड़ता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े तंत्र की कार्यशैली को देखें तो एक बात हमेशा सामने आती है। उनकी दृष्टि भीड़ पर नहीं, भीड़ में छिपे उस व्यक्ति पर होती है जिसने कानून तोड़ा है। वे संख्या नहीं देखते, जिम्मेदारी देखते हैं। यही कारण है कि यह संदेश महत्वपूर्ण है कि पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जाती है और कानून अपना काम करता है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए स्पष्ट संकेत है जो भीड़ का सहारा लेकर खुद को बचा लेने का भ्रम पालते हैं।

आज तकनीक ने जांच का तरीका बदल दिया है। कैमरे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड हैं, फोरेंसिक विज्ञान है और ऐसे कई आधुनिक साधन हैं जिनकी सहायता से घटनाओं की परतें खुलती हैं। यदि किसी हिंसक घटना की जांच वैज्ञानिक तरीके से होती है और दोषियों की पहचान की जाती है, तो यह कानून के शासन को मजबूत करता है। इसका संदेश साफ होता है कि अपराध करके भीड़ में गुम हो जाना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पक्ष भी है, जिस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। लोकतंत्र अधिकार देता है, लेकिन हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि पुलिस पर हमला किया जाए। विरोध का अधिकार यह नहीं कहता कि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। अगर अधिकार और जिम्मेदारी के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी लोकतंत्र को होगा जिसकी दुहाई दी जाती है।

यह भी याद रखना चाहिए कि पुलिसकर्मी किसी अलग दुनिया से नहीं आते। वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। उनके भी परिवार हैं, सपने हैं और जिम्मेदारियां हैं। जब उन पर पत्थर फेंका जाता है तो चोट केवल एक व्यक्ति को नहीं लगती, बल्कि कानून के प्रति लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचती है। इसलिए पुलिस पर हमला केवल एक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राज्य की संस्थाओं को चुनौती देने का प्रयास भी है।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने यह भी देखा है कि कई बार हिंसा करने वालों के लिए वैचारिक तर्क गढ़े जाते हैं। कभी उसे जनाक्रोश कहा जाता है, कभी भावनाओं का उबाल और कभी व्यवस्था के खिलाफ स्वाभाविक प्रतिक्रिया। लेकिन कोई भी तर्क हिंसा को वैध नहीं बना सकता। लोकतंत्र संवाद से चलता है, टकराव से नहीं। संविधान असहमति की रक्षा करता है, अराजकता की नहीं।

यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। यह देश को यह याद दिलाता है कि कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब कानून तोड़ने वाले को यह भरोसा नहीं, बल्कि यह अनुभव होगा कि उसकी पहचान होगी और उसे उसके कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कानून की निष्पक्षता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

अधिकार हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आधारभूत शर्त है। विरोध कीजिए, सवाल पूछिए, सरकार की आलोचना कीजिए, अपनी बात पूरी मजबूती से रखिए, लेकिन कानून की सीमा के भीतर रहकर। क्योंकि लोकतंत्र तख्ती उठाने वालों की रक्षा करता है, पत्थर उठाने वालों की नहीं। यही कानून के राज की असली पहचान है और यही एक मजबूत राष्ट्र का आधार भी।

●●●

50+ YEARS OF MOMENTUM
अर्थ सहकारेण कल्याणम्
दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
सोने तारण कर्ज
जलद कर्ज
कमी प्रक्रिया शुल्क
व्याजदर
९.५०%* वार्षिक
* अटी व शर्ती लागू
TOLL FREE: 1800 233 1919
kalyanjanata.in
KJSBank

डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस मनाते हैं। इसके पीछे का विमर्श क्या है, इसपर प्रस्तुत है एक विश्लेषणात्मक आलेख।

भीषण जनजातीय नरसंहार का दिवस

द सोशल कांट्रैक्ट्स जीन जैक्स रूसो की वर्ष 1762 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक की प्रथम पंक्ति है - मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, और अब वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यही वह बिंदु है, जो पश्चिमी और इस्लामिक चिंतन से हम भारतीयों को अलग करता है। सनातनी भारतीय समाज सदैव लोकतांत्रिक, व अनुशासित व्यवस्था रहा है, जो उत्तरोत्तर सुधार, स्वतंत्रता और साधना की ओर बढ़ता है। ये साधना कई रूपों में हमारे साथ चलती है। ये जड़ता से चेतना की ओर बढ़ती हुई यात्रा होती है। वहीं पश्चिमी चिंतन चेतना से जड़ता की ओर रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण राजनैतिक कारणों से उपजाया गया 9 अगस्त का 'विश्व जनजातीय दिवस' है। ये विश्व भर को अपने दृष्टिकोण, छद्म, और दुराग्रह से बांधने का कुत्सित प्रयास है। ये विश्व भर के जनजातीय समाज की आँखों में मिर्च झोंकने का दुष्प्रयास है।

विश्व जनजातीय दिवस उत्सव एक सुंदर मकड़ी का अतिसुंदर मकड़जाल है। ये आयोजन अपने ही पुरखों के भीषण नरसंहार को भुला दिए जाने के षड्यंत्र है और इस शोक दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने की दुरभिसंधि (साजिश) भी। इस अंतरराष्ट्रीय जनजातीय दिवस की दृष्टि लगभग 200 आदिवासी समूह की चेतना पर केंद्रित है। उनकी चेतना में समाए उनके पुरखों के नरसंहार पर है। पश्चिमी समाज विश्व भर के जनजातीय मानस से उनके नरसंहार, होलोकास्ट को, मसेकर को, मॉस स्लाटरिंग को, ब्लड बाथ को, एनिहिलेशन मॉस मरडरिंग को उनकी स्मृति मिटाने का एक फैशनेबल किंतु कुत्सित प्रयास कर रहा है। यह जनजातीय विमर्श को अजब-गजब तरीके से स्थापित करने की कलाबाजी है।

पश्चिम फेक डिस्कोर्सेस स्थापित करने के छद्मयुद्ध का सदैव से ही कुशल खिलाड़ी रहा है।

जनजातीय बंधु बोलीविया, ब्राज़ील, कोलम्बिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, वेनेज़ुएला आदि देशों और साथ ही भारत के दूरस्थ, अंतर्स्थ स्थित वनों में रहते हैं एवं प्रकृति को ही ईश्वर मानकर उसकी रक्षा करते हैं। ये दिवस उनकी स्मृति लोप कराने का दुष्प्रयास है।

9 अगस्त, वस्तुतः पश्चिमी साम्राज्यवादियों द्वारा किए गए बड़े, बर्बर नरसंहार का दिन है। इस शोक दिवस को उसी पीड़ित, दमित व संहारित किए गए वनबंधुओं द्वारा गौरव दिवस के रूप में मनवा लेने का षड्यंत्र है। वस्तुतः 9 अगस्त का यह दिन अमेरिका, जर्मनी, स्पेन सहित समस्त उन पश्चिमी देशों पर बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा पश्चाताप, दुःख व क्षमाप्रार्थना का दिन होना चाहिए। इस दिन यूरोपियन आक्रमणकारियों को उन देशों के मूल निवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए, जिन्हें उन्होंने बर्बरतापूर्वक उनके मूलनिवास से खदेड़ा था या समाप्तप्राय कर दिया था। आश्चर्य यह है कि हम भारतीय भी इस विमर्श में फंस गए हैं। इस 'इंडीजेनस डे' का हमसे कोई सरोकार ही नहीं है। यदि जनजातीय दिवस मनाना ही है तो हमारे पास भगवान बिरसा मुंडा से लेकर टंट्या मामा भील तक हजारों ऐसे जनजातीय योद्धाओं का समृद्ध इतिहास है, जिन्होंने हमारे

समूचे भारतीय समाज के लिए गौरवमयी स्वतंत्रता अभियान चलाए और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।

भारत के ग्रामों व नगरों में वनवासी समाज की प्रतिष्ठा के रक्षण व विकास की प्राचीन परम्परा रही है। नगरीय, ग्रामीण और वनवासी समाज में परस्पर निर्भरता, परस्पर उत्तरदायित्व की अद्भुत किंतु अलिखित संतुलन प्रवृत्ति रही है।

प्रकृति पूजन हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, जिसके प्रति नगरीय समाज की अपेक्षा जनजातीय समाज अधिक आग्रही रहा है। भारतीय जनजातीय समाज रक्षण का पात्र नहीं अपितु शेष समाज व राष्ट्र का रक्षक रहा है। मूल निवासी दिवस की चर्चा करें तो ध्यान आता है कि हमारी नर्मदा घाटी ही मानव प्रजाति की जन्मदाता रही है। नर्मदा किनारे जन्मी इस सभ्यता में नगरीय व वन-कंदराओं में निवास करने वाले बंधुओं का अपना महत्व व भूमिका थी। दोनों समाज अपने उत्पादन व वृत्तियों के आधार पर परस्पर निर्भरता के सिद्धांत से जीवन यापन करते हुए वैदिक धर्म को ही भिन्न रूपों में मानते थे।

शिव उपासना वैदिक धर्म का एक अविभाज्य अंग रही है। शिव पूजन को वनबंधुओं ने भी आगे बढ़ाया व नगरीय समाज ने भी। कोलम्बस दिवस के रूप में भी मनाये जाने वाले इस दिन को वस्तुतः अंग्रेजों के अपराध बोध को स्वीकार करने के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अमेरिका में मूल निवासियों को अत्यंत बर्बरतापूर्वक समाप्त कर देने की कहानी के पश्चिमी पश्चाताप दिवस के रूप में स्वीकार्य है।

आज भारत सामाजिक समरसता के नए आयाम गढ़ रहा है। यह कुछ भारत विरोधी तत्वों को रास नहीं आ रहा है। इस सकारात्मक परिवर्तन के वातावरण में जहर बोने का कार्य कुछ भारत विरोधी व विभाजनकारी लोग कर रहे हैं। मूल निवासी दिवस के एजेंडे के पीछे बहुत से ऐसे विदेशी मानसिकता के लोग खड़े हो गए हैं और भारत के भोले-भाले जनजातीय समाज के मन में विभाजन के बीज बो रहे हैं।

कम्युनिस्ट, इस्लाम व इसाईयत के षड्यंत्र का नव संस्करण है मूलनिवासीवाद। भारतीय दलितों व आदिवासियों को पश्चिमी अवधारणा से जोड़ने व भारतीय समाज में विभाजन के नए केंद्रों की खोज इस मूलनिवासी वाद के नाम पर प्रारम्भ कर दिया गया है। इस पश्चिमी षड्यंत्र के दुष्प्रभाव में कुछ कथित दलित व जनजातीय नेताओं ने यह कहना प्रारम्भ किया कि भारत के मूल निवासियों (दलितों) को बाहरी आर्यों ने अपना गुलाम बनाकर यहां हिंदू वर्ण व्यवस्था को लागू की। बाबासाहेब अम्बेकर अपने लेखन में कथित आर्य व जनजातीय संघर्ष की बात को दृढ़ता से नकारते हैं।

●●●

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For Better World

Combo Offer

ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य

- भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।
- सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।
- सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।
- सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।
- इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।
- आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।

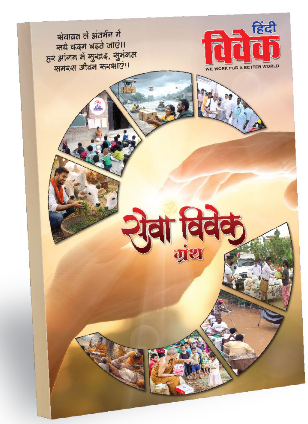

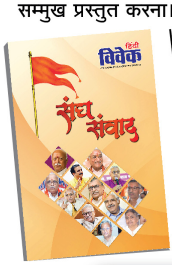

हिंदी विवेक की पंचवार्षिक सदस्यता

सेवा विवेक ग्रंथ

मूल्य ₹ 500 + मूल्य ₹ 1800 + मूल्य ₹ 700

कुल : ₹ 3000/-

आपको मिलेगा मात्र ₹ 2500 में

ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें या...
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

विश्लेषण

असम में बाढ़ की त्रासदी

डॉ. मनीष मोहन गोरे

असम में बाढ़ की वर्तमान विभीषिका को केवल एक प्राकृतिक घटना मान लेना अनुचित होगा। यह स्पष्ट रूप से ढांचागत उपेक्षा, जलविद्युत परियोजनाओं के अस्थिर प्रबंधन, सीमावर्ती पहाड़ियों में पारिस्थितिक विनाश और वेटलैंड्स के अतिक्रमण का एक संयुक्त परिणाम है।

असम में वर्ष 2026 की मानसूनी बाढ़ ने राज्य भर में जनजीवन को अभूतपूर्व रूप से अस्त-व्यस्त कर दिया है। यह त्रासदी केवल अत्यधिक वर्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक असंतुलन, ढांचागत विफलताओं और अवैज्ञानिक मानवीय हस्तक्षेप का एक जटिल और संचयी प्रस्फुटन है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस बाढ़ ने 95 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जिनमें से सर्वाधिक 50 मौतें अकेले शिवसागर जिले में दर्ज की गई हैं। पूरे बाढ़ चक्र में 14 से अधिक जिलों के लगभग 16 लाख लोग गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। कृषि और आजीविका के दृष्टिकोण से यह आपदा अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुई है। लगभग 24,897 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और 10 लाख से अधिक पशुधन इस विभीषिका की चपेट में आ गए हैं। चराईदेव जैसे जिलों में सामान्य से 436% और शिवसागर में 134% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसने ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाले जल के आयतन को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है।

असम के मैदानी इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए 1950 और 1970 के दशक के बीच राज्य भर में 4,459 किलोमीटर लम्बे तटबंधों का निर्माण किया गया था। इन संरचनाओं को एक अल्पकालिक बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में डिजाइन किया गया था, जिनकी अनुमानित जीवन अवधि 20 वर्ष थी। वर्तमान स्थिति यह है कि ये तटबंध दशकों पहले अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश का कई वर्षों से उचित मरम्मत या रख-रखाव नहीं हुआ है। जर्जर और कमजोर हो चुके ये तटबंध ब्रह्मपुत्र, दिसांग, डिखौ और धनसिरी जैसी उफनती नदियों के जल का अत्यधिक दबाव सहने में पूरी तरह अक्षम हैं। जब ये तटबंध टूटते हैं, तो पानी तीव्र गति से रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे न केवल घर और फसलें नष्ट होती हैं, बल्कि सड़कें और बिजली आपूर्ति

जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे भी बह जाते हैं, जिससे वहां का सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप हो जाता है।

जलविद्युत परियोजनाओं से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर आम जनता और स्थानीय स्तर पर प्रायः एक 'तकनीकी साजिश' की मंशा जताई जाती है। यह धारणा बन गई है कि ऊपरी क्षेत्रों में स्थित परियोजनाएं निचले क्षेत्रों को जानबूझकर डुबा रही हैं। जलवैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर यह किसी दुर्भावनापूर्ण साजिश के बजाय, एक गम्भीर ढांचागत विफलता और अंतर-राज्यीय बेसिन प्रबंधन का अभाव प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, भूटान स्थित 60 मेगावाट की कुरिच्छु जलविद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण निचले असम, विशेषकर बोंगाईगांव और बारपेटा में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। इसी प्रकार, अरुणाचल प्रदेश में नीपको द्वारा संचालित रंगानदी बांध और एनएचपीसी की 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना ने लखीमपुर और धेमाजी जिलों में 'फ्लैश फ्लड' (अचानक बाढ़) की स्थिति उत्पन्न की है।

इन परियोजनाओं के पीछे की वास्तविकता यह है कि ये बांध भूगर्भीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जहां 'क्लाउड बर्स्ट' या अत्यधिक वर्षा के कारण जलग्रहण क्षेत्रों में पानी अप्रत्याशित रूप से भर जाता है। बांध को टूटने से बचाने के लिए प्रबंधकों को आपातकालीन स्थिति में स्पिलवे गेट खोलने पड़ते हैं। सुबनसिरी परियोजना में तो निर्माण के दौरान ही भूस्खलन और गार्ड वॉल के बह जाने जैसी संरचनात्मक विफलताएं सामने आई हैं, जो इसकी सुरक्षा पर गम्भीर सवाल खड़े करती हैं। अतः यह एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि इन बड़े बांधों की सीमित भंडारण क्षमता, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं।

असम में बाढ़ का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण, किंतु अधिकांश उपेक्षित, कारण पड़ोसी राज्यों की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर चल रहा वनों का कटान और खनन है। वर्ष 2026 की बाढ़ में शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों में ऐसी गम्भीर बाढ़ का कोई पैटर्न नहीं रहा है। असम के मुख्य मंत्री और विभिन्न विशेषज्ञों ने इस अभूतपूर्व तबाही का मुख्य कारण नागालैंड की सीमा से सटी पहाड़ियों में होने वाले अनियंत्रित और अवैज्ञानिक खनन (जिसमें कोयला, पत्थर और रेत का खनन शामिल है) को बताया है।

जब पहाड़ी ढलानों पर जंगलों की कटाई होती है और भारी मशीनों से खनन किया जाता है, तो मिट्टी की प्राकृतिक पकड़ कमजोर हो जाती है। भारी बारिश के दौरान यही ढीली मिट्टी, मलबा और गाद पानी के साथ तीव्र गति से बहकर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आ जाती है। अत्यधिक गाद जमा होने के कारण नदियों का तल लगातार ऊपर उठ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नदी की जल धारण क्षमता में भारी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, खनन गतिविधियों ने पहाड़ियों की प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को बदल दिया है। वृक्षों और वनस्पतियों के रूप में मौजूद प्राकृतिक अवरोधों के नष्ट होने से बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के अत्यधिक वेग से असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। मुख्यमंत्री ने इस जटिल समस्या के सटीक कारणों का पता लगाने और बाढ़ की गतिशीलता को समझने के लिए उपग्रह डेटा आधारित एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है।

बाढ़ की इस त्रासदी को और अधिक गंभीर बनाने में असम की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) का निरंतर हो रहा क्षरण एक प्रमुख कारक है। असम के ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में 3,000 से अधिक छोटे-बड़े वेटलैंड्स (जिन्हें स्थानीय रूप से 'बील' कहा जाता है) मौजूद हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा कवर करते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये बील मानसूनी वर्षा और नदियों के अतिरिक्त जल को सोखने वाले प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करते आए हैं, जो बाढ़ की तीव्रता को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ●●●

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

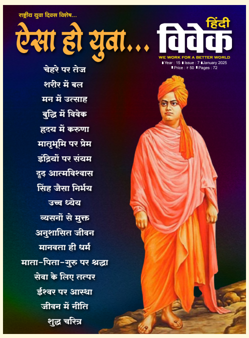

हिंदी
विवेक
" We Work For A Better World"

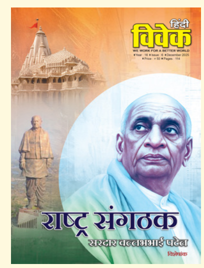

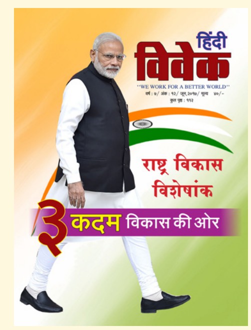

सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 25,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

डॉ. सौरभ मालवीय

कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति की उस महान धारा का प्रतीक है जिसमें श्रद्धा, संकल्प, शारीरिक क्षमता एवं सामाजिक समरसता का संगम होता है। यह अहंकार को त्याग कर शिवत्व में लीन होने की एक आध्यात्मिक साधना है।

आस्था और परम्परा का संगम

पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा का प्रारम्भ समुद्र मंथन के समय हुए 'विषपान' की घटना से सम्बंधित है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर अत्यधिक उष्ण हो गया और उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे 'नीलकंठ' कहलाए। विष के नकारात्मक प्रभाव एवं जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल अर्पित किया था। इससे उन्हें शांति प्राप्त हुई। तभी से कांवड़ यात्रा प्रारम्भ हुई।

एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्रीराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर के वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार लंका नरेश रावण ने हरिद्वार से जल लाकर पुरा महादेव में शिवशंकर को अर्पित किया था। यह परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है।

कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं को 'कांवड़िया' कहा जाता है। यह यात्रा मुख्य रूप से गंगा नदी के तटों से प्रारम्भ होती है तथा विभिन्न प्रमुख ज्योतिर्लिंगों अथवा प्रसिद्ध शिव मंदिरों पर जाकर समाप्त होती है। इसके प्रमुख प्रस्थान केंद्रों में उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख तथा उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट, सोरो तथा बिहार में सुल्तानगंज आदि सम्मिलित हैं।

हरिद्वार से जल भरने वाले कांवड़िए विभिन्न शिव मंदिरों जैसे नीलकंठ महादेव, पुरा महादेव, काशी विश्वनाथ एवं अपने-अपने गृह नगरों के स्थानीय शिव मंदिरों में जल अर्पित करने जाते हैं। बिहार के सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर निकलने वाले श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित 'बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग' पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल यात्रा नहीं है, अपितु यह कठोर तपस्या, मानसिक संयम एवं शारीरिक शक्ति की परीक्षा है। कांवड़ मुख्य रूप से बांस की फच्चियों से बनाई जाती है, जिसके दोनों सिरों पर टोकरियां या बर्तन बांधकर उनमें गंगाजल के कलश रखे जाते हैं। कांवड़ यात्रा के कई रूप देखने को मिलते हैं। सामान्य कांवड़ में कांवड़िया पैदल चलते हैं तथा मार्ग में विश्राम शिविरों में रुकते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन रूप है। इसमें श्रद्धालुओं का एक समूह बिना रुके, निरंतर दौड़ते हुए जल अर्पित करने जाता है। जल भरने के पश्चात् से लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने तक कांवड़ को एक क्षण के लिए भी भूमि पर नहीं रखा जाता। खड़ी कांवड़

में यात्रा में कांवड़ को कभी भी भूमि या किसी स्टैंड पर नहीं रखा जाता। यदि कांवड़िया विश्राम करता है, तो उसका सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर साधे रखता है। झांकी कांवड़ में बड़े-बड़े ट्रकों एवं ट्रॉलियों पर भगवान शिव की विशाल मूर्तियां और झांकियां सजाकर यात्रा निकाली जाती है। आजकल इसका चलन बहुत बढ़ गया है। कांवड़ यात्रा के समय कांवड़िए अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हैं। सम्पूर्ण यात्रा में सात्विक आहार, स्वच्छता, ब्रह्मचर्य एवं मन-वचन-कर्म से पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य होता है। मार्ग में एक-दूसरे को 'बम' या 'शिवभक्त' कहकर सम्बोधित किया जाता है, जिससे जात-पात एवं ऊंच-नीच का भेदभाव समाप्त हो जाता है।

गाजे-बाजे पर नृत्य

श्रावण के मास में सड़कें 'बम-बम भोले' एवं 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठती हैं। कांवड़ियों के जत्थे गाजे-बाजे एवं डीजे पर बजते शिव भजनों एवं धार्मिक धुनों पर नाचते-गाते हुए आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर केवल कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई देते हैं।

विशेष प्रबंध

सरकार एवं प्रशासन कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी सब कार्य छोड़कर कांवड़ियों की सेवा में लग जाता है। इन पर पुष्प वर्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय निवासियों द्वारा भी कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन, स्वच्छ पेयजल, विश्राम स्थल एवं चिकित्सा सेवाएं विशेष रूप से पैरों के छालों एवं मालिश की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।

यातायात व जनजीवन पर प्रभाव

कांवड़ यात्रा प्रशासन एवं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। श्रावण के मास में लाखों लोग सड़कों पर होते हैं। लाखों की पैदल भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे दिल्ली-हरिद्वार एनएच-58 एवं राज्य मार्गों पर सामान्य यातायात को रोकना या परिवर्तित करना पड़ता है। भारी वाहनों एवं बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मार्ग परिवर्तित करने से मुख्य मार्गों पर कई-कई किलोमीटर लम्बा ट्रैफिक जाम लगना सामान्य बात हो जाती है। इससे दैनिक यात्रियों, कार्यालय जाने वालों, स्कूली बच्चों एवं आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों एवं ड्रोन कैमरों की तैनाती की जाती है। ●●●

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For A Better World
मासिक पत्रिका

शुल्क ₹ 500

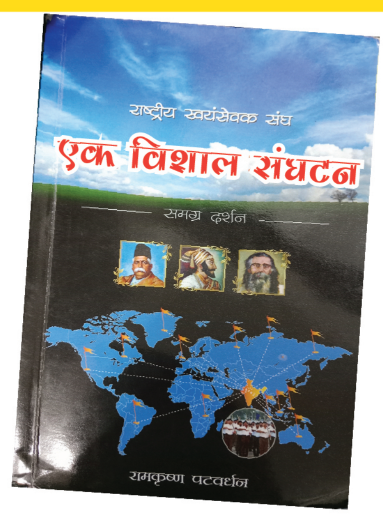

रा. स्व. संघ की स्थापना से लेकर शतकपूर्ति की यात्रा के विभिन्न पड़ावों तथा भविष्य के उद्देश्यों का सम्पूर्ण संकलन व आंकलन करने वाली पुस्तक

ऑनलाईन पंजीयन करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA-HINDI VIVEK

Bank : Bank of Maharashtra **Branch :** Prabhadevi

A/C No. : 60085108000 **IFSC :** MAHB0000318

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

सम्पर्क - 9594991884 Email : hindivivekvargani@gmail.com

ग्लासगो राष्ट्रकुल खेल 2026

भारत ने राष्ट्रकुल खेल 2026 में भाग लिया, मुक्केबाजी में इतिहास रचा, स्टार खिलाड़ियों ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए पदक जीते, कुछेक खिलाड़ी पदक के करीब आकर भी उससे दूर रह गए। कुल मिलाकर ग्लासगो में भारतीय दल का एक यादगार प्रदर्शन रहा।

commonwealth games
GLASGOW 2026

प्रवीण सिन्हा

दो कदम आगे ही बढ़े

पिछले करीबन डेढ़ दशक से भारतीय खेल जगत की दशा और दिशा एक सकारात्मक राह पर है। इस बार भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। सरकार का प्रोत्साहन, प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का उदय और लक्ष्य को साधने की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना - इन सभी का सुंदर समायोजन देखने को मिला। प्रतिस्पर्धाओं की कमी के कारण पदकों की संख्या (13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक) भारतीय दल के लिए विशेष मायने नहीं रखता है, क्योंकि भारत ने कुल प्रतिस्पर्धाओं में ही भाग लिया था। हां, कुछ पदक जीतने और कुछ स्वर्ण पदक से चूकने के बाद भारतीय दल का आकलन करें तो ग्लासगो राष्ट्रकुल खेल भारतीय खेल जगत को दो कदम आगे ले जाने वाला साबित हुआ।

खूब लगे स्वर्णिम पंच

ग्लासगो में भारतीय उपलब्धियों की बात की जाए तो उनमें मुक्केबाजों के दमदार प्रदर्शन ने बाजी मार ली। मुक्केबाजी में भारत को 7 स्वर्ण व 3 रजत सहित कुल 10 पदक प्राप्त हुए, जो राष्ट्रकुल खेलों के 94 वर्षों के इतिहास में किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक पदकों का कीर्तिमान है। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई और उनमें से 7 को स्वर्णिम पंच जड़ते देख भारतीय खेलप्रेमियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और, भारतीय नारी शक्ति की प्रहार क्षमता देखते ही बन रही थी जब 5 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। यही नहीं, इस दौरान कई मुक्केबाजी स्पर्धाओं में भारतीय महिलाएं इस खेल के जन्मदाता इंग्लैंड की मुक्केबाजों को पस्त करते हुए विजयी पताका फहराया। आज यही कारण है कि भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम विश्व की नम्बर एक टीम बन गई है, जबकि जैसमिन लंबोरिया 57 किग्रा भारवर्ग में विश्व की नम्बर एक मुक्केबाज बन चुकी हैं। हालांकि भारतीय मुक्केबाजों की असली परीक्षा एशियाई खेलों में होगी जब उन्हें चीन, उत्तर कोरिया, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दमदार प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत के युवा मुक्केबाजों, विशेषकर नारी शक्ति ने ग्लासगो राष्ट्रकुल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर इतना तो साबित कर ही दिया है कि एशियाई खेलों व ओलम्पिक खेलों में भी भारतीय डंका बजने वाला है।

मीराबाई की विशिष्ट उपलब्धियां

मीराबाई चानू का लगातार तीसरी बार राष्ट्रकुल खेलों में

2020 टोक्यो ओलंपिक - रजत

2014 ग्लासगो राष्ट्रकुल खेल - रजत

2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रकुल खेल - स्वर्ण

2022 बर्मिंघम राष्ट्रकुल खेल - स्वर्ण

2026 ग्लासगो राष्ट्रकुल खेल - स्वर्ण

स्वर्ण जीत इतिहास रचना ग्लासगो की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसका उदाहरण खुद मीराबाई ने दिया - विजेता मंच पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद जैसे-जैसे भारतीय तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता जा रहा था, मीराबाई की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। इस भावुक पल के बारे में पूछने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया था - ये मेरे खुशी के आंसू थे। काफी अच्छा लग रहा है लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतकर। जब पोडियम पर आप खड़े होते हैं और राष्ट्रगान बजता है तो अनुभव होता है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि और कड़ी मेहनत करूं और देश के लिए कुछ अच्छा करूं। हालांकि वर्ष 2014 में इसी ग्लासगो शहर, इसी स्टेडियम और इसी राष्ट्रकुल खेलों में मीराबाई चानू ने एक 20 वर्षीय युवा महिला भारोत्तोलक के रूप में अपने अंतरराष्ट्रीय करिअर का पदार्पण किया था। 2014 में रजत पदक जीत उन्होंने संकेत दे दिया था कि भारतीय भारोत्तोलन जगत में एक नए युवा स्टार का आगमन हो चुका है। इसके बाद उन्होंने साल-दर-साल अपने प्रदर्शन सुधारते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाए, ओलंपिक पदक जीता और लगातार तीन बार राष्ट्रकुल खेलों का स्वर्ण पदक जीत खुद को देश की सबसे बड़ी भारोत्तोलन स्टार के रूप में स्थापित कर लिया।

मीराबाई के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से टीम के साथी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा और ऋषिकांत सिंह राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष भारोत्तोलक बनने में सफल रहे। यही नहीं, महिला व पुरुष भारोत्तोलन में एक स्वर्ण सहित 6 रजत और एक कांस्य पदक जीतना भारत के लिए एक उपलब्धि मानी जाएगी।

एथलीटों ने भरी ऊंची उड़ान

भारतीय एथलीटों ने ग्लासगो में कई स्पर्धाओं में हैरतअंगेज प्रदर्शन कर सचेत कर दिया कि भविष्य में अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों वे प्रबल दावेदारी पेश करने में सक्षम हैं। ग्लासगो में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में हालांकि भारत के खाते में कोई स्वर्ण पदक नहीं आया, लेकिन 2022 बर्मिंघम राष्ट्रकुल खेलों के कुल 8 पदकों की तुलना में भारत ने इस बार 5-5 रजत व कांस्य पदक जीत आशा की किरणें अवश्य जगाई हैं। उत्तर प्रदेश के 27 वर्षीय गुलवीर सिंह ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए देश का नाम रोशन किया। भारत अब तक जहां एथलेटिक्स में पदकों के लिए तरसता रहा, वहीं गुलवीर ने 5 हजार और 10 हजार मीटर दौड़ में क्रमशः कांस्य व रजत पदक जीत ट्रैक पर खलबली मचा दी। लम्बी दूरी की दौड़ में ट्रैक पर अफ्रीकी विशेषकर केन्याई एथलीटों को पछाड़ने का मतलब जग जीतना होता है, और यह काम गुलवीर ने दो-दो बार कर दिखाया। यही नहीं, गुलवीर एक ही राष्ट्रकुल खेलों में एथलेटिक्स के दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। इसी तरह, जेवलिन थ्रो में स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (रजत) के साथ यशवीर सिंह का कांस्य पदक जीतना सराहनीय प्रदर्शन माना जाएगा। इस स्पर्धा में ओलम्पिक पदक विजेता और विश्व चैंम्पियन खिलाड़ी शामिल थे, उनमें से नीरज के साथ यशवीर का पदक विजेता पोडियम पर खड़ा होना लम्बे समय तक याद किया जाएगा।

खेलों के किसी भी महामेले में डेकाथलॉन सबसे मुश्किल स्पर्धा मानी जाती है। और तेजस्विन शंकर ने 10 विभिन्न स्पर्धाओं में कई यूरोपीय एथलीटों को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक जीत इतिहास रच दिया। राष्ट्रकुल डेकाथलॉन स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीत तेजस्विन ने उद्घोष कर दिया कि लंबी दूरी या ताकत वाली स्पर्धाओं में अब भारत ने भी ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी है। बात उड़ान की आई तो ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे, लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली और त्रिकूद में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीत देश का नाम रोशन किया। यहां यह बात साबित होती है कि भारतीय एथलीट अब विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतने लगे हैं।

गोवा के स्वाधीनता सेनानी राजाभाऊ महाकाल

राजाभाऊ महाकाल

उज्जैन निवासी आरएसएस प्रचारक राजाभाऊ महाकाल ने 15 अगस्त 1955 को गोवा सीमा पर तिरंगा लेकर सत्याग्रह किया। पुर्तगाली गोली से सिर में चोट लगने के बाद भी वे आंदोलन की चिंता करते रहे और बलिदान हो गए।

1948 के प्रतिबन्धकाल में प. पू. सरसंघचालक श्रीगुरुजी से किसी ने भगवा ध्वज और तिरंगे झंडे के सम्बंध के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि भगवे की तरह तिरंगे झंडे के लिए भी स्वयंसेवक अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। श्री नारायण बलवंत (राजाभाऊ) महाकाल ने उनकी बात को सत्य कर दिखाया। राजाभाऊ का जन्म भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन (म.प्र.) में महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार में 26 जनवरी, 1923 को हुआ था। उज्जैन में प्रचारक रहे श्री दिगम्बर राव तिजारे के सम्पर्क में आकर वे स्वयंसेवक बने और उन्हीं की प्रेरणा से 1942 में प्रचारक जीवन स्वीकार किया। सर्वप्रथम उन्हें सोनकच्छ तहसील में भेजा गया। वे संघर्षप्रिय तो थे ही, पर समस्याओं में से मार्ग निकालने की सूझबूझ भी रखते थे। सोनकच्छ तहसील के गांव पीपलरवां में एक बार मुसलमानों ने उपद्रव किया। वहां कुनबी जाति के हिंदुओं की बस्ती में शाखा लगती थी। राजाभाऊ ने वहां जाना चाहा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। इस पर राजाभाऊ रात के अंधेरे में महिलाओं के वस्त्र पहनकर वहां गए और रात में ही वापस लौट आए। उनके पहुंचने से हिंदुओं का उत्साह बढ़ गया और फिर मुसलमान अधिक उपद्रव नहीं कर सके।

1948 के प्रतिबंध काल में अनेक प्रचारक घर वापस लौट गए, पर राजाभाऊ ने बाबासाहब के साथ सोनकच्छ में एक होटल खोल दिया। इससे भोजन की समस्या हल हो गई। घूमने-फिरने के लिए पैसा मिलने लगा और होटल कार्यकर्ताओं के मिलने का एक ठिकाना भी बन गया। प्रतिबंध समाप्ति के बाद उन्होंने फिर से प्रचारक की तरह पूर्ववत कार्य प्रारम्भ कर दिया।

1955 में गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन प्रारम्भ होने पर देश भर से स्वयंसेवक इसके लिए गोवा गए। उज्जैन के जत्थे का नेतृत्व राजाभाऊ ने किया। 14 अगस्त की रात में लगभग 400 सत्याग्रही सीमा पर पहुंच गए। योजनानुसार 15 अगस्त को प्रातः दिल्ली के लालकिले से प्रधान मंत्री का भाषण प्रारम्भ होते ही सीमा से सत्याग्रहियों का कूच होने लगा। सबसे पहले श्री बसंतराव ओक और उनके पीछे 4-4 की संख्या में सत्याग्रही सीमा पार करने लगे। लगभग दो कि.मी चलने पर सामने सीमा चौकी आ गई।

यह देखकर सत्याग्रहियों का उत्साह दुगना हो गया। बंदूकधारी पुर्तगाली सैनिकों ने चेतावनी दी, पर सत्याग्रही नहीं रुके। राजाभाऊ तिरंगा झंडा लेकर जत्थे में सबसे आगे थे। सबसे पहले बसंतराव ओक के पैर में गोली लगी। फिर पंजाब के हरनाम सिंह के सीने पर गोली लगी और वे गिर पड़े। इस पर भी राजाभाऊ बढ़ते रहे। अतः सैनिकों ने उनके सिर पर गोली मारी। इससे राजाभाऊ की आंख और सिर से रक्त के फव्वारे छूटने लगे और वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। साथ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे को सम्भाला और उन्हें वहां से हटाकर तत्काल चिकित्सालय में भर्ती कराया। उन्हें जब भी होश आता, वे पूछते कि सत्याग्रह कैसा चल रहा है, अन्य साथी कैसे हैं, गोवा स्वतंत्र हुआ या नहीं? चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजाभाऊ तथा अन्य बलिदानियों के शव पुणे लाये गए। वहीं उनका अंतिम संस्कार होना था। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, पर जनता सब प्रतिबंधों को तोड़कर सड़कों पर उमड़ पड़ी। राजाभाऊ के मित्र शिवप्रसाद कोठारी ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अस्थियां जब उज्जैन आईं, तो नगरवासियों ने हाथी पर उनका चित्र तथा बग्घी में अस्थिकलश रखकर भव्य शोभायात्रा निकाली। बंदूकों की गड़गड़ाहट के बाद उन अस्थियों को पवित्र क्षिप्रा नदी में विसर्जित कर दिया गया।

विजय कुमार

समरसता और समता की अखंड प्रेरणा है भारतीय सभ्यता - जिष्णु देव वर्मा,

भारतीय सभ्यता, समरसता और समतावादी मूल्यों को आगे लाने हेतु आज एक राष्ट्रीय एकात्मिक कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता है। इंद्रेश कुमार और पाल्गा रिम्पोचे समाज में आशा, समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रेरणादायी स्त्रोत है, यह वक्तव्य राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुंबई स्थित सचिवालय जिमखाना में आयोजित राष्ट्रीय एकात्मिक समरसता सम्मान समारोह के दौरान दिया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर रा. स्व. संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार और बौद्ध धर्मगुरु पाल्गा रिम्पोचे का गौरव सम्मान महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष अन्ना बनसोडे के हाथों किया गय। इस समय विविध पंथ के धर्म गुरु, गणमान्यजन एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुम्बई। एआईएएमए ओलम्पियाड चैम्पियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अबेकस और मेंटल मैथ के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतियोगिता में भारत के 39 प्रतिभागियों ने कुल 46 पुरस्कार जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। एआईएएमए द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 देशों के कुल 228 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय विद्यार्थियों ने अपनी तेज गणना क्षमता, एकाग्रता और मानसिक गणित कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

एनएसटीआई महिला दादर द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। विगत 16 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान सभी स्वच्छता अभियान, हस्ताक्षर अभियान, और वृक्षारोपण जैसे विविध कार्यक्रम किए गए। प्राचार्य/ उपसंचालक डॉ. नरेशकुमार चव्हाण के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर सहायक संचालिका परिणिता उके, डॉ. वंदना जरोलिया, प्रशिक्षण अधिकारी स्मिता घरात, कुमारी प्रीती सहोदा, कुमारी नूतन डेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षक ज्योती भंडारी, अर्चना कुमारी, महेश ठाकूर, नमिता कुमारी, वंदना कोंडी, मारुती मोरे, संतोष किरवे व रुपाली भोसले, प्रादेशिक संचालक हेमंत गंजरे और संयुक्त संचालक जी. वेंकटेश आदि उपस्थित थे।

पिताम्बरी ने लॉन्च की देवभक्ति अगरबत्ती, रितेश देशमुख बने ब्रांड एम्बेसेडर

पिताम्बरी ने प्राकृतिक तत्वों से निर्मित ‘देवभक्ति अगरबत्ती’ लॉन्च की है। अपने इस उत्पाद के लिए बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रितेश देशमुख को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कम्पनी ने देशभर में पिताम्बरी देवभक्ति अगरबत्ती का नया विज्ञापन भी प्रस्तुत किया है।

यह विज्ञापन एक अनोखे विचार पर आधारित है। इसमें दर्शाया गया है कि प्रत्येक भारतीय नई आशाओं और अटूट श्रद्धा के साथ हर नए दिन की शुरुआत करता है। ये देश जागता है, नई आशा के साथ - इस संदेश को प्रस्तुत करने वाला विज्ञापन अंत में ‘जहां श्रद्धा और भक्ति, वहां महके पिताम्बरी देवभक्ति’ टैगलाइन के साथ खूबसूरती से समाप्त होता है। इस अभियान की संकल्पना और निर्देशन महेश लिमये की ली प्रॉडक्शंस ने किया है। इस अवसर पर पिताम्बरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. रविंद्र प्रभुदेसाई ने कहा कि पिताम्बरी देवभक्ति अगरबत्ती के माध्यम से प्राकृतिक तत्वों और वास्तविक फूलों की सुगंध के साथ पूजा-अर्चना को अधिक आनंददायी बनाना यह हमारा उद्देश्य है। लाखों ग्राहकों की दैनंदिन पूजा को समृद्ध करने वाला यह उत्पाद प्रस्तुत करते हुए हमें खुशी हो रही है।

कम्पनी के वाइस चेयरमैन परिक्षित प्रभुदेसाई ने कहा कि पिताम्बरी देवभक्ति अगरबत्ती भारत की पहली प्राकृतिक सुगंधों से युक्त मास-प्रोडयूस्ड अगरबत्ती है।

पितांबरी
हेल्थकेअर डिवीजन
गोमूत्र प्लस कॅप्सूल्स
गोमाता का स्वास्थ्यवर्धक वरदान !
आयुर्वेद में पहली बार
भारतीय गाय का
गोमूत्र प्लस पाउडर कॅप्सूल्स
त्रिफला युक्त
१०×१० कॅप्सूल्स । जी.एम.पी. प्रमाणित
Gomutra Plus Powder Capsules
Product of India
गोमूत्र प्लस के लाभ
•कब्ज, हृदयरोग, मधुमेह जैसी बीमारियों में लाभदायक
•शरीर डिटॉक्स करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित रखता है
•कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में फायदेमंद
•अनचाही गंध और स्वाद नही
गोमूत्र + त्रिफला (आंवला + बहेड़ा + हरीतकी) = गोमूत्र प्लस कॅप्सूल
भारतीय गोमूत्र को अमेरिका में भी मिला पेटंट।
फ्री सैम्पल
FREE SAMPLE
कोड स्कॅन करें ४ कॅप्सूल्स का फ्री सैम्पल पाए
डॉ. रविंद्र प्रभुदेसाई जी के स्वानुभव पर आधारित इंटरव्यू के लिए कोड स्कॅन करें
Pitambari Products Pvt. Ltd.: Contact: 9028181859 / 9403130410, CRM: 022-6703 5564 / 5699,
Toll Free: 18001031299 | Shop Online: www.pitambari.com/shop | CIN: U52291MH1989PTC051314